अति महत्वपूर्ण
संख्या–924 / 12–1–21

प्रेषक,

यतीन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

कृषि निदेशक
उ0प्र0 लखनऊ।

कृषि अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 30 मई, 2021

विषय–सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति ।

महोदय,

वर्तमान स्थानान्तरण सत्र, 2020–21 में कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–8 / 2020 / 1 / 3 / 96–का–4–2020 दिनांक 12 मई, 2020 द्वारा निम्नवत् व्यवस्था निर्दिष्ट करते हुए अग्रिम आदेशों तक सभी प्रकार के स्थानान्तरण पर रोक लगायी गयी है, जो कि वर्तमान में यथावत प्रभावी है:–

''सेवानिवृत्ति, मृत्यु, चिकित्सीय अशक्तता (Incapicitation), प्रोन्नति, त्यागपत्र, निलम्बन अथवा सेवा से पृथक किये जाने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति विशेष को प्रशासनिक विभाग स्थानान्तरण नीति में वर्णित सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर भर सकते हैं, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इस रिक्ति भरने से उत्पन्न होने वाली परिणामी रिक्ति पर तैनाती नहीं की जा सकेगी। अपरिहार्य स्थिति में मा0 मुख्यमंत्री जी से अनुमोदनोपरान्त स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।''

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 12.05.2020 में निर्दिष्ट व्यवस्था के विरूद्ध निदेशालय स्तर से यदि कतिपय कर्मियों के स्थानान्तरण दिनांक 01 अप्रैल, 2021 के उपरान्त किये गये हो, तो उन स्थानान्तरण आदेशों को निरस्त करते हुए, सूची शासन को दिनांक 31.05.2021 को अपरान्ह् तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि यदि शासकीय कार्यवश कतिपय कर्मियों का स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो, तो इसके निमित्त सुसंगत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(यतीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

REDMI NOTE 10
31/05/2021 11:18